



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक 16.03.2024

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को थाना राठ पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति को अम्बे पैलेस के आगे लीलावती मोड़ के पास कस्बा राठ से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना राठ पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. राज राजपूत पुत्र उदय सिंह राजपूत नि0 ग्राम चिल्ली थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 19 वर्ष आपराधिक इतिहास राज राजपूत पुत्र उदय सिंह राजपूत
1. मु0अ0सं0 31/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ
2. मु0अ0सं0 173/23 धारा 323/504/506 IPC थाना राठ

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 विनेश गौतम
2. का0 अनिल कुमार

